मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन

क्रमांक/MPLRS/FDB/2025/168/गा.5/सात भोपाल, दिनांक 03-03-2025

प्रति,

कलेक्टर,

जिला समस्त,

मध्यप्रदेश,

विषय -फार्मर रजिस्ट्री की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु युद्धस्तर पर कार्यवाही करने हेतु।

संदर्भ -01 आयुक्त भू-अभिलेख का पत्र क्रमांक MPLRS/AgriStack/FDB/2024/322 दिनांक 18/09/2024,

02 आयुक्त भू-अभिलेख का पत्र क्रमांक MPLRS/FDB/2025/514 दिनांक 11/12/2204

03 आयुक्त भू-अभिलेख का पत्र क्रमांक MPLRS/FDB/2025/585 दिनांक 16/02/2205

04 आयुक्त भू-अभिलेख का पत्र क्रमांक MPLRS/FDB/2025/645 दिनांक 20/01/2205

भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण् मंत्रालय की एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री बनाये जाने की कार्यवाही हेतु संदर्भित निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक कृषक भूमिस्वामी को एक यूनिक आईडी भारत सरकार द्वारा जनरेट कर प्रदान किया जा रहा है, ताकि कृषकों को आसानी से केसीसी ऋण कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हो सके और हितग्राहीमूलक योजनाओं हेतु लक्ष्य निर्धारण एवं कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से सत्यापन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निर्देश क्रमांक Z-11021/32/2023-DA दिनांक 17/02/2025 से अवगत कराया गया है मार्च 2025 के उपरांत पीएमकिसान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु फार्मर आईडी अनिवार्य होगा। **अतः युद्धस्तर पर समस्त पीएमकिसान हितग्राहियों हेतु फार्मर आईडी बनाये जाने की कार्यवाही की जाये।**

इसके अलावा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की Special Central Assistance के तहत फार्मर रजिस्ट्री का नियत लक्ष्य प्राप्त करने पर राज्यों को First Come First Serve आधार पर Incentive रशि भी प्राप्त होगी। मध्यप्रदेश् में दिनांक 28/02/2025 तक 59.73% फार्मर आईडी बन चुकी हैं और 25% तथा 50% (Milestone 1 & 2) लक्ष्यपूर्ति कर Incentive प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। तथापि 75% फार्मर आईडी बनाये जाने पर

CamScanner

Milestone - 3 एवं 100% फार्मर आईडी बनाये जाने के उपरांत ही Milestone - 4 हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की ओर प्रेषित किया जा सकेगा।

भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश अनुसार फार्मर आईडी जनरेट करने की कार्यवाही अभियान के रूप में पूर्ण करने हेतु कैम्प आयोजित कर शीघ्र कार्यवाही पूर्णकी जाना है, इस हेतु प्रति कैम्प राशि रूपये 15000/- (तीन किश्तों मे) प्रदान की जाएगी।

प्रदेश में 100 लाख फार्मर आईडी बनाए जाने का लक्ष्य है, जिसमें से 58 लाख फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। शेष **42 लाख फार्मर आईडी 20 मार्च 2025 तक बनाए जाने** के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार कैम्प का आयोजन किया जाये। इस कार्यवाही हेतु **जिला कलेक्टर को जिला नोडल अधिकारी** नामित किया जाता है एवं भू-अभिलेख अधीक्षक (नियमित) को सहायक जिला नोडल अधिकारी बनाया जाता है। सहायक नोडल अधिकारी कैम्प की जानकारी अद्यतन करने एवं कैम्प आयोजन हेतु आवश्यक समन्वय एवं अधिकारियों द्वारा कैम्प भ्रमण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

1. **लक्ष्य निर्धारण -**
    1. प्रत्येक पटवारी को प्रतिदिन 10 फार्मर आईडी जनरेट करने का लक्ष्य दिया जाए।
    2. डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु पंजीकृत स्थानीय युवा को 10 फार्मर आईडी जनरेट करने का लक्ष्य किया जाये।
    3. सीएससी केन्द्र की बैठक आयोजित कर ग्राम/पंचायत/सीएससी केन्द्रवार लक्ष्य नियत किया जाये।
2. **कैम्प का स्वरूप -**
    1. कैम्प का आयोजन आस-पास के ग्रामों (03 से 05 ग्राम) का कलस्टर बनाकर किया जाए, जिसमें 1000 से 1500 भूमिस्वामी उपस्थित हों।
    2. पंचायत भवन या स्थानीय निकाय कार्यालय में कैम्प आयोजन किया जाये, जिसमें शासकीय सेवकों एवं कृषकों की बैठक व्यवस्था सुनिश्चित हों।
    3. प्रत्येक कैम्प हेतु राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के एक-एक शासकीय सेवक को नोडल ऑफिसर नामित किया जाये।
    4. कैम्प में आवश्यक इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
    5. कैम्प में सीएससी प्रतिनिधि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाये।

CamScanner

3. प्रचार - प्रसार -

1. कैम्प आयोजन दिनांक की सूचना ग्रामवार भूमिस्वामियों को उपलब्ध कराई जाये, जिसके लिए डोर-टू-डोर कैंपेन किया जा सकता है।
2. सोशल मीडिया एवं डिजिटल माध्यम से किसानों को कैम्प एवं फार्मर रजिस्ट्री एवं खसरा-आधार लिंकिंग के संबंध में अवगत कराया जाये।
3. स्थानीय समाचार पत्रों में आलेख, और अन्य माध्यमों से कैम्प आयोजन की जानकारी एवं फार्मर रजिस्ट्री एवं खसरा-आधार लिंकिंग के संबंध में जानकारी प्रदान की जाये।
4. एसएमएस कैम्पेन : एसएमएस के माध्यम से भी एग्रीस्टैक के लाभ और कार्यशीलता का प्रचार-प्रसार किया जाये।
5. सहकारी संस्थाओं का आवश्यक सहयोग प्रचार-प्रसार कार्य हेतु लिया जाये।

4. कैम्प में कार्यवाही -

1. कैम्प हेतु नियत ग्राम में प्रात: 07 से 08 बजे तक कैम्प आयोजन की सूचना ग्रामवासियों को दी जाये।
2. कैम्प का आयोजन प्रतिदिन प्रात: 08 से 02 बजे एवं सायं 04 से 06 बजे तक किया जाये।
3. सीएससी केन्द्र, पटवारियों, स्थानीय युवा के माध्यम से फार्मर आईडी एवं खसरा आधार लिंकिंग की कार्यवाही की जाये।
4. स्थानीय युवा को प्रति फार्मर आईडी नियत राशि को भुगतान किया जाएगा, अत: अधिक से अधिक स्थानीय युवा का उपयोग कार्यवाही हेतु किया जाये।

5. डोर टू डोर कार्यवाही -

1. पंचायत सचिव, पटवारी एवं कृषि विभाग के शासकीय सेवकों के सहयोग से सायं काल में डोर - टू - डोर फार्मर आईडी बनाने एवं आधार खसरा को लिंक करने हेतु कार्यवाही की जाये।
2. फार्मर आईडी एवं आधार खसरा लिंकिंग हेतु की कार्यवाही एवं फायदों के बारे में ग्रामीणजन को भी अवगत कराया जाकर आवश्यक सहयोग लिया जाये

6. कैम्प की जानकारी -

1. प्रत्येक कैम्प हेतु नोडल ऑफिसर की जानकारी संलग्न गूगल शीट में अद्यतन की जाये।

CamScanner

2. प्रत्येक ग्राम हेतु कैम्प आयोजन के स्थान, दिनांक, कैम्प फोटो, न्यूज पेपर कटिंग, अन्य IEC कार्यवाही सहित सोशल मीडिया लिंक की जानकारी संलग्न गूगल शीट में अद्यतन की जाये।
3. कैम्प की उक्त जानकारी भारत सरकार की ओर भेजने के उपरांत ही कैम्प हेतु नियत राशि प्राप्त हो सकेगी।

7. कैम्प में भ्रमण-

1. कैम्प में भ्रमण हेतु राजस्व एवं अन्य शासकीय सेवको को नियुक्त किया जाये।
2. संभागीय आयुक्त एवं कलेक्टर भी अयोजित कैम्पों का निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा करेंगे।
3. क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख प्रतिदिन आयोजित कैम्प का भ्रमण कर रिपोर्ट मुख्यालय ग्वालियर कार्यालय की ओर प्रेषित करेंगे।

8. भारत सरकार द्वारा कैम्प हेतु इंसेंटिव -

1. प्रत्येक कैम्प हेतु भारत सरकार द्वारा कुल राशि रूपये 15000/- दी जाएगी।
2. यह तीन किश्तों में देय होगी। (गॉवों के क्लस्टर से पीएमकिसान डाटाबेस अनुसार कम से कम 50% किसानों को रजिस्टर करने के लिए)
    1. राशि रूपये 5000/- प्रथम 15% फार्मर आईडी जनरेट करने पर।
    2. राशि रूपये 5000/- आगामी 15% फार्मर आईडी जनरेट करने पर।
    3. राशि रूपये 5000/- आगामी 20% फार्मर आईडी जनरेट करने पर।
3. प्रति फार्मर आईडी जनरेशन पर राशि रूपये 10/- राज्य को प्राप्त होगी।
4. यह राशि फार्मर आईडी एवं खसरा आधार लिंकिंग हेतु नियत कार्यवाही पूर्ण करने पर प्राप्त की जा सकेगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मार्च 2025 से फार्मर आईडी की अनिवार्यता एवं Special Central Assistance के तहत इंसेंटिव राशि के संबंध में यह आवश्यक है कि प्रत्येक भूमिस्वामी कृषक हेतु फार्मर आईडी युद्धस्तर पर बनाई जाना है। **<u>अत: उक्तानुसार कार्यवाही दिनांक 20 मार्च 2025 तक सुनिश्चित की जाये</u>**।

(विवक कुमार पोरवाल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

CamScanner

पृ. क्रमांक/MPLRS/FDB/2025/168/रा.-5/सात   भोपाल, दिनांक 03-03-2025

प्रतिलिपि-

1. अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विभाग।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग।
4. सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर आवश्यक सहयोग हेतु।
5. संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
6. प्रभारी अधिकारी, सीएससी केन्द्र, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर फार्मर आईडी की कार्यवाही पूर्ण करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

CamScanner